राजस्थान सरकार

निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC XVII)/2018/3595 दिनांकः 5.10.2018

नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके (क्र.स. 1, 2, 4, 15 एवं 16 पर वर्णित ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31–03–2019 तक एवं क्र.स. 3, 5 से 14 एवं 17 पर वर्णित ठेके की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31–03–2020 तक रहेगी) ई–नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर आमंत्रित की जाती है।

क्र.स.	ठेके का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	174	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना की राजस्व सीमा में खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	ईआरसीसी	डोलोमाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	26058900	22.10.2018	23.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	180	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ	जिला चित्तौड की तहसील चित्तौड व गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड व क्वार्टज	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	35773800	22.10.2018	23.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

3	51	सहायक खनि अभियन्ता टोंक	जिला टोंक की तहसील उनियारा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	197100	22.10.2018	23.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
4	212	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियाबडी की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	ईआरसीसी	क्वार्टज, फैल्सपार, पीली मिट्टी, केओलिन, सिलिका सैण्ड	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	10216600	22.10.2018	23.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
5	241	खनि अभियंता, भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील कोटडी एवं जहाजपुर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4087700	22.10.2018	23.10.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
6	32	खनि अभियन्ता चित्तौडगढ	जिला चित्तौडगढ की तहसील चित्तौडगढ के क्वारी क्षेत्र मान्दलदेह में खनिज मार्बल के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मार्बल	आरसीसी	मार्बल	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1431000	22.10.2018	23.10.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
7	53	सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली	जिला जयपुर की तहसील शाहपुरा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	3213800	22.10.2018	23.10.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
8	55	सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली	जिला अलवर की तहसील बहरोड की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	7399500	22.10.2018	23.10.2018	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.

9	39	खनि अभियन्ता जयपुर	जिला जयपुर की तहसील चोमू की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	12794500	22.10.2018	23.10.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
10	54	सहायक खनि अभियन्ता कोटपुतली	जिला जयपुर की तहसील कोटपूतली की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	98356700	22.10.2018	23.10.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
11	248	खनि अभियंता, बीकानेर	जिला बीकानेर की तहसील लूणकरनसर की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस बाउण्ड्री से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन	आरसीसी	सैण्ड स्ओन	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	623700	22.10.2018	23.10.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
12	91	खनि अभियन्ता बून्दी–II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	13299000	22.10.2018	23.10.2018	04.00 पी.एम. से 6.00 पी.एम.
13	231	खनि अभियन्ता, चित्तौडगढ	जिला चित्तौडगढ की तहसील चित्तौडगढ के क्वारी क्षेत्र सावा–नूय–सावा में खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी) के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (खण्डा, फर्शी एवं गिट्टी)	अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	5074700	23.10.2018	24.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
14	44	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील झुंझुनू, चिडावा व उदयपुरवाटी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	5398400	23.10.2018	24.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

15	158	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील खेतडी, बुहाना, उदयपुरवाटी व नवलगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फैल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	4568500	23.10.2018	24.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
16	159	खनि अभियंता, सौजतसिटी	जिला पाली (तहसील रायपुर को छोडकर) की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	ईआरसीसी	चायनाक्ले, बॉल क्ले व अन्य क्ले, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व फैल्सपार	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	22732000	23.10.2018	24.10.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
17	111	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	जिला कोटा की तहसील सांगोद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क एवं डी.एम.एफ.टी.	1707300	12.11.2018	13.11.2018	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

अ बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रकियाः–

1 ई–नीलामी प्रकिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।

2 ई–नीलामी की प्रकिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न 0141–2742208 है।

3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।

4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/– व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई–मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई–मेल से भिजवाने होगें ।

ब ई–नीलामीं की प्रकिया

1 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग–अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।

2 अमानत राशिं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।

3 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई–नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है । बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वंय जिम्मेदार होगा।

4 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

5 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है । नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रकिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

6 विज्ञप्ति के क्र.स 15 व 16 पर अंकित ठेका क्रमांक 158 व 159 में एकल बोली (single bid) प्राप्त होने पर भी ठेका स्वीकार किया जा सकेगा।

7 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जावेगा, जिसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा ऐसे बोलीदाता को भेजी जावेगी।

8 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होगें:–

i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेरस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो–ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई–नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

ii विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ–पत्रः– यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई संलग्न है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ–पत्र तैयार किया जावें।

1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

नोट–शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

vi PAN card / TIN की प्रति।

vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।

viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

नोट :–

1 समस्त ठेकों में किसी भी व्यक्ति द्वारा बोली में भाग लिया जा सकता है । परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिन में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र उच्चतम बोली अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।

यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा अमानत राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा ।

2 रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा ।

3 ई–ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (जो संशोधित दिनांक 14.3.2018 को हुई है) में किया गया है।

4 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(जे.के. उपाध्याय) I.A.S.
निदेशक

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC XVII)/2018/3596 to 3661 दिनांकः 5.10.2018

प्रतिलिपि :–

1– श्री दिनेश कुमार मील, Dy. Manager, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स– खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द–I/ II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द –सहायक खनि अभियन्ता, टौंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर

05/10/2018

(ओ.पी. काबरा)
अधीक्षण खनि अभियन्ता (नी.प्र.)